राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./3785/2006/चित्तौडगढ

1. मांगू पुत्र भीमा गाडरी
2. डालू पुत्र भीमा गाडरी
3. शंकर पुत्र रामचन्द्र गाडरी
4. सोहन लाल पुत्र रामचन्द्र गाडरी
5. बरदू पुत्र रामचन्द्र गाडरी

सभी निवासीयान ग्राम देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

....अपीलांट्स

बनाम

1. मांगिया पुत्र मोती चमार निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अभिभाषक अपीलांट
रेस्पो0 अनुपस्थित

दिनांक : 3.7.2023

निर्णय

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा अपील संख्या 39/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7–9–2005 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी कपासन के न्यायालय में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया। दौराने वाद रेस्पो. सं.1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी बाबत पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी कपासन के न्यायालय से निर्णय हो चुका है। इस कारण उपरोक्त वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित होने के कारण खारिज किया जावे। विचारण

न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरांत निर्णय व डिक्री दिनांक 17–12–2003 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई, जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 7–9–2005 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. रेस्पो0 को पूर्व में रजिस्टर्ड ए डी नोटिस जारी किये गये किन्तु उपस्थित नहीं। अतः अपीलांट्स के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का बहस में कथन है कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि अनुसार नहीं होने एवं प्रावधानों के विपरीत होने से प्रारम्भतः शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि सर्वप्रथम रेस्पो. को अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 118 / 2002 का प्रतिवाद प्रस्तुत करना चाहिए था तत्पश्चात वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकियात कायम कर, साक्ष्य ग्रहण कर वाद का निस्तारण करना चाहिए था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उक्त प्रक्रिया नहीं अपनायी जाकर दावा खारिज करने में न्यायिक भूल की है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय के समक्ष पिछले दावे की प्रमाणित प्रति नहीं थी, ना ही जवाब दावे की प्रतिलिपि प्रस्तुत हुई और ना ही तनकियात जो कायम की गई वो प्रस्तुत हुई और ना ही उनके द्वारा एकत्रित की गई साक्ष्य प्रस्तुत हुई। ऐसे में उपरोक्त दस्तावेज के अभाव में धारा 11 सीपीसी सीधे रूप से प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया कि पूर्व प्रस्तुत वाद एवं पश्चात्वर्ती प्रस्तुत वाद में पक्षकारान समान नहीं है तथा उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष भी असमान हैं। रेस्पो. की ओर से पूर्व में प्रस्तुत इस्तकरार हक के वाद संख्या 46 / 57 में खसरा नंबरान का कोई हवाला नहीं है जबकि पश्चात्वर्ती प्रस्तुत वाद में अपीलांट्स नये सिरे से वाद लेकर आये हैं। इस प्रकार दोनों वादों में पूर्णतया असमानता होते हुए भी धारा 11 सीपीसी को प्रयुक्त मानकर वाद खारिज करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गौर न कर अपीलांट्स की अपील को खारिज करने में भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्ते किये जावें तथा रेस्पो. के प्रार्थना पत्र को खारिज कर अपीलांट्स के वाद को नये सिरे से सुनवाई कर निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

5. बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलांट्स/वादीगण के वाद पत्र के अनुसार वादीगण स्वयं को खुराज के वारिस होना बताते हैं तथा रेस्पो. मांगीया एवं खुराज के मध्य इस्तकरार हक का वाद संख्या 46/57 का निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा दिनांक 18–9–1957 को किया गया है। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजीयात बाबत पूर्व में प्रस्तुत वाद में बाद सुनवाई पक्षकारान के हक अधिकारों का गुणावगुण पर अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होने के कारण अपीलांट्स/वादीगण पुनः उसी आराजीयात बाबत वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत पश्चात्वर्ती वाद संख्या 118/2002 विधि द्वारा वर्जित होने से चलने योग्य नहीं है एवं जिसे खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति दर्शाते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से पूर्णतया सहमत हैं एवं उनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7–9–2005 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–12–2003 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य